

श्री जनक सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना संख्या 18/2/476 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	शून्यकाल सूचना सं0-18/2/476	उत्तर प्रतिवेदन
1	<p>क्या जल संसाधन विभाग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे :</p> <p>सारण जिलान्तर्गत तरैया विधानसभा के सलेमपुर वितरणी, शामकौड़िया उप-वितरणी, अगौथर लघु-नहर, जयथर जलवाहा, सढवारा लघु-नहर, छपियां लघु-नहर, रसौली लघु-नहर, धनौती लघु-नहर, धोबवल उप-वितरणी, डेवडी लघु-नहर, फरीदपुरा (धेनुकी) लघु-नहर का अनुचित प्रबंधन के कारण कृषि कार्य कभी इसकी उपयोगिता नहीं रही है? सरकार इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करावे?</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • सारण जिलान्तर्गत तरैया विधानसभा में सलेमपुर वितरणी, शामकौड़िया उपवितरणी, अगौथर लघु नहर, जयथर जलवाहा तथा सढवारा लघु नहर का पैतृक नहर पटेढा शाखा नहर है, जो सारण मुख्य नहर के कि0मी0 65.55 से निःसृत है। • पटेढा शाखा नहर के कि0मी0 19.96 से सलेमपुर वितरणी निःसृत है, जिससे प्रश्नगत सढवारा लघु नहर, कौड़िया उपवितरणी, अगौथर लघु नहर निःसृत होते हैं। • पटेढा शाखा नहर के कि0मी0 9.08 से मशरख उपवितरणी निःसृत होती है, जिससे प्रश्नगत जयथर जलवाहा निकलती है। • उपर्युक्त नहरों में कृषि कार्य हेतु पानी की कमी का मुख्य कारण इसके पैतृक नहर पटेढा शाखा नहर में विगत कई वर्षों से सफाई नहीं होने के कारण अत्यधिक मात्रा में जंगल/गाद जमा हो जाना है। वर्तमान में पटेढा शाखा नहर में जंगल/गाद सफाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसे दिनांक 31.05.2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। तदोपरांत खरीफ सिंचाई 2026 से सलेमपुर वितरणी एवं इससे निःसृत वितरण प्रणालियों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सकेगा। • जयथर जलवाहा का जलश्राव 20 क्यूसेक से कम है। 20 क्यूसेक या उससे कम जलश्राव वाले विभिन्न नहरों (मुख्य नहर को छोड़कर) लघु नहर, उपलघु नहरों, जलवाहों आदि का सुदृढीकरण कार्य मनरेगा (VB-G RAM G) से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त जलवाहा का मनरेगा (VB-G RAM G) द्वारा जीर्णोद्धार होने के उपरांत पानी उपलब्ध हो सकेगा। • सारण मुख्य नहर के कि0मी0 65.54 से निःसृत मढौरा शाखा नहर के कि0मी0 22.80 से धोबवल उप वितरणी, कि0मी0 23.17 से निःसृत सिसवा उपवितरणी के कि0मी0 0.73 से रसौली लघुनहर, छपिया लघुनहर एवं धनौती लघु नहर निकलती है। मढौरा शाखा नहर के कि0मी0 34.14 से धेनुकी लघु नहर तथा कि0मी0 35.35 से निःसृत शेखपुरा वितरणी के कि0मी0 0.91 से देवडी लघु नहर निःसृत है। • प्रश्नगत नहरों में विगत कई वर्षों से सफाई नहीं होने के कारण जंगल/गाद जमा हो गये हैं साथ ही नहर बांध अत्यंत कमजोर हो गया है। जिसके कारण उक्त नहरों में नहर के अंतिम बिन्दु तक जलश्राव प्रवाहित नहीं किया जा सका है। धोबवल उपवितरणी, धनौती लघु नहर, रसौली लघु नहर, छपिया लघु नहर, देवडी लघु नहर एवं फरीदपुर लघु नहर (धेनुकी) प्रणाली में मिट्टी लाईनिंग एवं संरचना का कार्य वर्तमान में चल रहे पश्चिमी गंडक नहर पुनर्स्थापन कार्य (ई0आर0एम0) में सन्निहित है। जिसे दिनांक 31.05.2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। प्राथमिकता के आधार पर उक्त नहरों में जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा तदोपरांत खरीफ सिंचाई 2026 में अंतिम छोर तक सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0शून्य(सि0)-13-14/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त शून्य काल सूचना सं0-18/2/476 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0शून्य(सि0)-13-14/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0शून्य(सि0)-13-14/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0शून्य(सि0)-13-14/2026-

1960

पटना, दिनांक- 04/05/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

6.30/4/26